

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

कमाक-एफ-4(5)()राजस्व/14/5614-20

दिनांक 16.09.2014

—आदेश:—

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग की गई है। उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में आरक्षित (सेट-अपार्ट) की जाती है:—

क.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (है०)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
			8 किता	62.24
2		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
			2 किता	38.91
3		ताखा	368	2.25
		कुल योग	11 किता	103.40 है०

नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ललित कुमार गुप्ता)
जिला कलक्टर

बारां

कमाक-एफ-4(5)()राजस्व/14/5614-20

दिनांक 16.09.2014

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं चालनार्थ प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलैक्ट्रेट, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०वि० वृत्त, बारां।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० एन०एच०, बारां।
5. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
6. तहसीलदार, अन्ता।
7. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
बारां